

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021-22/767

दिनांक- 18.11.2021

समस्त प्राचार्य

राजकीय/निजी महाविद्यालय,

राजस्थान

विषय :- कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत स्कूटी के वर्ष 2020-21 के आवेदनों की जाँच एवं फॉरवर्ड (अग्रेषित) बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजनान्तर्गत (उच्च शिक्षा स्कूटी, अनुसूचित जाति स्कूटी, अल्पसंख्यक स्कूटी, जनजाति छात्राओं की 12वीं उत्तीर्ण की स्कूटी के आवेदनों एवं जनजाति छात्राओं की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं की स्कूटी के वर्ष 2020-21 के आवेदनों की जाँच कर संबंधित को फॉरवर्ड (अग्रेषित) किये जाने की कार्यवाही करावें।

अतः उक्त योजना के आवेदनों की जाँच 15 दिवस में करावें। इसके बाद पोर्टल बन्द की तिथियाँ निर्धारित कर दी जावेंगी।



(हरिसिंह मीना)

वित्तीय सलाहकार

कॉलेज शिक्षा राजस्थान,

जयपुर

क्रमांक: एफ 23(80)(2)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2021-22/768-772

दिनांक- 18.11.2021

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. निजी सचिव निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर
4. निजी सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर
5. प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु।



वित्तीय सलाहकार